झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

<u>अधिसूचना</u>

दिनांकः 14/08/22....

संख्याः–16/य.1–04/2022...238......../ **भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद द्वारा झारखण्ड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अधीन कार्यरत सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के सेवाशर्त हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैः–**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभः–**
   i. समग्र शिक्षा अन्तर्गत यह नियमावली **''झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021''** कहलाएगी।
   ii. इसका विस्तार समग्र शिक्षा अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के विद्यालयों में कार्यरत **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** पर प्रभावी होगा।
   iii. यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।
   iv. पारा शिक्षक "सहायक अध्यापक" के नाम से जाने जाएँगे।
2. इस नियमावली से आच्छादित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** की सेवा सर्व शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा के अधीन संविदा शर्तो के अनुरूप रहने तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले दिशा–निदेशों के अनुरूप मानी जायेगी। भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अधीन राशि प्रदान नहीं करने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा राशि का वहन किया जाएगा।
3. **परिभाषाएँः–** जब तक कोई विषय या प्रसंग के विरुद्ध कोई बाध्य न हो :–
   i. ''प्राथमिक कक्षा'' से तात्पर्य है, वर्ग 1 से वर्ग 5

ii. ''उच्च प्राथमिक कक्षा'' से तात्पर्य है, वर्ग 6 से वर्ग 8

iii. ''प्रारंभिक कक्षा' से तात्पर्य है, वर्ग 1 से वर्ग 8

iv. सर्व शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा के तहत् संचालित प्रारंभिक विद्यालयों से अभिप्रेत है कि सर्व शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा के तहत् स्थापित किये गये शिक्षा गारंटी केन्द्र जो बाद के वर्षो में प्राथमिक विद्यालयों में उत्क्रमित किये गये तथा वैसे प्राथमिक विद्यालय जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत् मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किये गये या किये जायेंगे।

v. **''पारा शिक्षक''** से अभिप्रेत है ग्राम शिक्षा समिति सम्प्रति विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के तहत् झारखण्ड राज्य में संविदा पर एक निर्धारित मानदेय पर रखे गये शिक्षक।

vi. "सहायक अध्यापक" से तात्पर्य है, सर्व शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा के तहत् कार्यरत पारा शिक्षक।

vii. ग्राम शिक्षा समिति (वर्तमान में सम्प्रति विद्यालय प्रबंध समिति) से अभिप्रेत है उस ग्राम के अधीन सर्व शिक्षा अभियान (सम्प्रति समग्र शिक्षा) के तहत् विद्यालय को सुचारू रुप से संचालित करने हेतु गठित समिति।

viii. **''विद्यालय प्रबंध समिति''** से अभिप्रेत है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के तहत विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु गठित समिति।

ix. **''प्रखण्ड शिक्षा समिति"** से अभिप्रेत है कि संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में सर्व शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा के अधीन गठित समिति।

x. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से अभिप्रेत है कि NCTE या अन्य किसी नाम विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों एवं प्रशिक्षण व्यवस्था को नियमित करने वाली परिषद्।

xi. **''प्रशिक्षित''** से तात्पर्य है कि, जो मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त एवं उत्तीर्ण हो।

xii. **''प्राधिकृत अभिकरण''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड अधिविद्य परिषद् या राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन करने हेतु प्राधिकृत प्राधिकरण।

xiii. **''संविदा''** से अभिप्रेत है, किसी विशिष्ट स्कूल यथा– सर्व शिक्षा अभियान सम्प्रति समग्र शिक्षा के अन्तर्गत खोले गए प्राथमिक विद्यालय अथवा मध्य विद्यालय के रूप में उत्क्रमित किए गए प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में अध्यापन हेतु ग्राम शिक्षा समिति एवं चयनित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के बीच किए गए अनुबंध के आधार पर ली गई सेवाएँ।

xiv. **''लघु दण्ड से अभिप्रेत है, सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के विरूद्ध पंचायत/प्रखण्ड प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिनियम में दिये गये गतिविधियों पर की जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई। इसके अन्तर्गत अधिकतम दो वर्षो हेतु की जाने वाली मानदेय वृद्धि में कटौती (असंचयात्मक प्रभाव से), निदंन, चेतावनी आदि लघु दण्ड के श्रेणी में आयेंगे।

xv. **''वृहद दण्ड से अभिप्रेत है, सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के विरूद्ध पंचायत/प्रखण्ड प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अधिनियम में दिये गये गतिविधियों पर की जाने वाली दण्डात्मक कार्रवाई, जैसे–मानदेय वृद्धि में कटौती (संचयात्मक प्रभाव से), सेवामुक्त करना इत्यादि वृहद दण्ड के श्रेणी में आयेंगे।

xvi. **''विभाग'** से तात्पर्य है, झारखण्ड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

xvii. **''राज्य कार्यकारिणी समिति, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्''** से अभिप्रेत है, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की नीति निर्धारण के लिए स्थापित समिति जो परिषद् के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करें तथा इससे संबंधित सभी कार्य निष्पादित करें तथा झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के संचालन हेतु सभी तरह के आवश्यक निर्णय लेने हेतु सक्षम प्राधिकार के रूप में कार्य करने वाली समिति।

xviii. **"राज्य परियोजना निदेशक"** से तात्पर्य है, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक।

xix. **"जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी"** से तात्पर्य है, झारखण्ड राज्य के किसी जिले में माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी जिन्हें पदेन समग्र शिक्षा कार्यक्रम के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया हो।

xx. **"जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी"** से तात्पर्य है, झारखण्ड राज्य के किसी जिले में प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी जिन्हें पदेन समग्र शिक्षा कार्यक्रम के अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

xxi. **"आकलन परीक्षा"** से तात्पर्य है, **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** हेतु मानदेय में बढ़ोतरी के लिए **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** की अध्यापन क्षमता एवं योग्यता का आकलन परीक्षा।

4. प्रारंभिक सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों की श्रेणी :-

प्रारंभिक पारा (संविदा) शिक्षक निम्नांकित दो श्रेणी के होंगे :-

(क) उच्च प्राथमिक पारा शिक्षक (स्नातक कोटि, कक्षा 6 से 8)
(प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 हेतु कार्यरत पारा शिक्षक)

(ख) प्राथमिक पारा शिक्षक (इंटरमीडिएट कोटि, कक्षा 1 से 5 हेतु)
(प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 हेतु कार्यरत पारा शिक्षक)

5. सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के लिए प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार :-

i. पारा शिक्षक जिनका चयन आम सभा के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति संप्रति विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा किया गया हो तथा जिसके चयन का अनुमोदन झारखण्ड सरकार, मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प संख्या प्रा0शि0नि01562/02/1018 दिनांक 04.08.2002 एवं उनके अनुवर्ती अन्य संकल्प/निदेश/नियमावली के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में

गठित प्रखण्ड शिक्षा समिति द्वारा किया गया था, जिसके सदस्य सचिव संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयक हैं।

ii. प्राथमिक स्तर पर चयनित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** का प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार पंचायत के अधीन होगा एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर चयनित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** हेतु प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार संबंधित प्रखण्ड की समिति के अधीन होगी। प्रखण्ड शिक्षा समिति में एक पारा शिक्षक प्रतिनिधि को रखा जाएगा।

iii. प्राथमिक **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** का कैडर पंचायत स्तरीय तथा उच्च प्राथमिक **सहायक अध्यापक सम्प्रति** पारा शिक्षक प्रखण्ड स्तरीय कैडर के होंगे।

iv. पारा शिक्षकों के लिए प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर प्रशासनिक–सह अनुशासनिक प्राधिकार का स्वरुप निम्नवत् होगा :

1. **स्नातक कोटि के प्रखण्ड स्तरीय सहायक अध्यापक हेतु संबंधित प्रखण्ड के प्रखण्ड प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार स्वरुप** निम्नवत् होगा :–

क.	पंचायत समिति का प्रमुख	–	अध्यक्ष
ख.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	–	उपाध्यक्ष
ग.	पंचायत समिति के शिक्षा समिति द्वारा चयनित एक सदस्य (अध्यक्ष पुरूष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	–	सदस्य
घ.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी	–	सदस्य
च.	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	सदस्य
छ.	क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

उपरोक्त क्रमांक 'घ' का मनोनयन जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

नोटः किसी कारण से प्रमुख का पद रिक्त हो तो उप–प्रमुख समिति की अध्यक्षता करेंगे।

2. **इंटरमीडिएट कोटि के पंचायत स्तरीय सहायक अध्यापक हेतु संबंधित पंचायत के पंचायत प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार होगा, जिसका स्वरूप निम्नवत् होगा :–**

क.	ग्राम पंचायत का मुखिया	–	अध्यक्ष
ख.	ग्राम पंचायत के शिक्षा समिति के चयनित एक सदस्य (अध्यक्ष पुरूष होने पर चयनित सदस्य महिला होगी)	–	सदस्य
ग.	पंचायत समिति का वह सदस्य जिनके क्षेत्र का अधिकांश भाग उस पंचायत में पड़ता हो	–	सदस्य
घ.	पंचायत अथवा पंचायत के निकटस्थ माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा मनोनित एक शिक्षक	–	सदस्य
च.	ग्राम पंचायत के सचिव	–	सचिव
छ.	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव

(उपरोक्त में से अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य नहीं होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यथा संभव इस कोटि के शिक्षक का मनोनयन किया जाएगा)

नोटः किसी कारण से मुखिया का पद रिक्त हो तो उप–मुखिया समिति की अध्यक्षता करेंगे ।

6. पूर्व के परिपत्रों के द्वारा निर्धारित अहर्ता के अनुरूप कार्यरत शिक्षक, जबतक सरकार द्वारा कोई अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है अथवा प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई नहीं की जाती है, तबतक सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे। अब नए

सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों का चयन नहीं किया जाएगा। किसी पारा शिक्षक के विरूद्ध शिकायत होने पर जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

7. **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के मानदेय की बढ़ोतरी हेतु प्रक्रियाः–**

सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक जो संविदा पर कार्यरत हैं तथा संविदा शर्तो का उल्लंघन नहीं किया है, उन्हें निम्न अहर्ता के अनुरूप प्रस्तावित मानदेय देय होगा :–

i. शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) उत्तीर्ण स्नातक प्रशिक्षित एवं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** को आकलन परीक्षा नहीं देनी होगी। इनके मानदेय में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। शेष प्रशिक्षित पारा शिक्षक जो JTET परीक्षा उत्तीर्ण नहीं हैं उनके मानदेय में दिनांक 01.01.2022 के प्रभाव से 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी एवं जब वे आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो परीक्षा उत्तीर्णता की तिथि से मानदेय में अतिरिक्त 10 प्रतिशत की वृद्धि बोनस के रूप में की जाएगी।

ii. प्रशिक्षित स्नातक पारा शिक्षक तथा प्रशिक्षित इंटरमीडिएट **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता हेतु चार अवसर प्रदान किए जायेंगे। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण होने पर परीक्षा उत्तीर्णता तिथि से उन्हें निर्धारित मानदेय वृद्धि प्रदान किया जाएगा।

iii. स्नातक अप्रशिक्षित एवं इंटरमीडिएट अप्रशिक्षित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** को माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या – 6701/2019 में पारित न्यायादेश के फलाफल के आधार पर कोई भी निर्णय लिया जा सकेगा।

iv. सभी विधिवत्त रूप से चयनित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के मानदेय की वृद्धि उनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के आधार पर प्रदान की जायेगी। यदि किसी पारा शिक्षक के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक तथा

शिक्षक पात्रता परीक्षा सत्यापन के क्रम में वैध नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें दिए गए मानदेय की वसूली के साथ-साथ उनके विरूद्ध यथोचित वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी। पूर्व में जिन **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाणपत्रों का सत्यापन जिला शिक्षा अधीक्षक /प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा किया गया है उनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन पुनः नहीं किया जाएगा।

8. **आकलन परीक्षा का स्वरूप** –

i. विधिवत रूप से चयनित प्रशिक्षित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक, जिन्होंने तीन वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण कर ली हो, उन्हें आकलन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा ।

ii. सभी कार्यरत प्रशिक्षित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक जिनके शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापनोपरान्त वैध पाए जायेंगे वे आकलन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

iii. आकलन परीक्षा के आधार पर उतीर्णता हेतु न्यूनत्तम अंक का निर्धारण :-

क. **सामान्य कोटि (पुरूष एवं महिला)** – 40 प्रतिशत अंक

ख. **आरक्षित कोटि (पुरूष एवं महिला)** – 35 प्रतिशत् अंक (पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति)

उपरोक्त निर्धारित अंक से कम अंक प्राप्त करने वाले सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा के आधार पर निर्धारित मानदेय वृद्धि देय नहीं होगा।

iv. अप्रशिक्षित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** को आकलन परीक्षा में शामिल होने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने के उपरान्त विचार किया जाएगा।

v. **आकलन परीक्षा का आयोजन विभाग द्वारा निर्धारित समयानुसार झारखण्ड अधिविद्य परिषद् के द्वारा किया जाएगा।**

वैसे सभी प्रशिक्षित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक जिन्होंने तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उन्हें निश्चित रुप से आकलन परीक्षा में सम्मलित होना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें इस अवसर का उपभोग कर लिया माना जायेगा। तदनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

vi. प्रशिक्षित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** को आकलन परीक्षा उत्तीर्णता हेतु अधिकत्तम चार अवसर प्रदान किए जायेंगे। आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** को निर्धारित मानदेय वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाएगा। वैसे प्रशिक्षित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक जो चार अवसर का उपभोग करने के बाद भी आकलन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर सकेंगे तो उनके मानदेय में केवल 40 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी ।

vii. आकलन परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न पर आधारित होंगे तथा पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न अनुसार होंगे :-

क. 70 प्रतिशत प्रश्न पाठ्यक्रम आधारित,

ख. 20 प्रतिशत प्रश्न शिक्षक कौशल एवं दक्षता आधारित,

ग. 10 प्रतिशत प्रश्न मानसिक एवं तार्किक क्षमता आधारित,

प्रश्नों के कठिनाई का स्तर इंटरमीडिएट संविदा प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए माध्यमिक स्तर तथा स्नातक प्रशिक्षित संविदा शिक्षकों के लिए इंटरमीडिएट स्तर का होगा।

viii. आकलन परीक्षा का दो स्तर होगा यथा प्राथमिक विद्यालय स्तर (वर्ग 1-5) एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (वर्ग 6-8) ।

ix. आकलन परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा से संबंधित दिशा-निदेश झारखण्ड अधिविद्य परिषद् द्वारा अलग से निर्गत किया जाएगा।

9. सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के लिए मानदेय वृद्धि का निर्धारण :-

i. शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET)/आकलन परीक्षा के आधार पर पारा शिक्षक निम्न श्रेणी के होंगे :-

क्र. सं.	सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक की श्रेणी	श्रेणी
1	उच्च प्राथमिक	स्नातक या इंटरमीडिएट विज्ञान एवं बी.ए. प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण
		स्नातक इंटरमीडिएट विज्ञान एवं बी.ए. प्रशिक्षित एवं आकलन परीक्षा उत्तीर्ण
		स्नातक इंटरमीडिएट विज्ञान एवं बी.ए. प्रशिक्षित एवं आकलन परीक्षा अनुत्तीर्ण
		स्नातक अप्रशिक्षित
2	प्राथमिक	इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण
		इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं आकलन परीक्षा उत्तीर्ण
		इंटरमीडिएट प्रशिक्षित एवं आकलन परीक्षा अनुत्तीर्ण
		इंटरमीडिएट अप्रशिक्षित

ii. शिक्षक पात्रता परीक्षा अथवा आकलन परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर उपरोक्त कंडिका 7(i) एवं (ii) के अनुसार मानदेय वृद्धि किया जाएगा। प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा संतोषप्रद सेवा के सत्यापन होने की स्थिति में 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मानदेय वृद्धि अनुमान्य होगी।

iii. मानदेय के भुगतान में व्यय होने वाली राशि की व्यवस्था समग्र शिक्षा के तहत केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के लिए प्राप्त राशि तथा उससे अतिरिक्त राशि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा योजना मद से उपलब्ध करायी जाने वाली राशि से होगी।

10. पारा शिक्षकों के कार्य अवधि में मृत्यु होने की स्थिति में शिक्षक की अहर्त्ता पूर्ण करने पर मृतक के एक आश्रित को अनुकम्पा का लाभ देय होगा।

11. **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों के लिए निर्धारित सेवाशर्तें एवं अनुशासनिक कार्रवाई :-**

i. सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक अधिकत्तम 60 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकेंगे ।

ii. **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** को कार्य अवधि में आचरण संहिता का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में नैसर्गिक न्याय के तहत संबंधित पारा शिक्षक को अपना पक्ष रखने हेतु एक अवसर प्रदान करते हुए संतोषप्रद स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार (पंचायत एवं प्रखण्ड शिक्षा समिति) द्वारा ऐसे सम्प्रति **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** की संविदा/कार्य अनुमति समाप्त की जा सकती है।

iii. कर्तव्य के प्रति निष्ठा नहीं रखने, निर्धारित आचरण संहिता का निर्वहन नहीं करने एवं छात्र हित/विद्यालय हित के विरूद्ध कार्य करने की स्थिति में संबंधित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक के विरूद्ध संबंधित पंचायत/प्रखण्ड स्तरीय प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगी। अनाधिकृत उपस्थिति/उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना हेतु मामला प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने पर संबंधित उपरोक्त वर्णित प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यथा- अनाधिकृत उपस्थिति जैसे मामलों में मानदेय वृद्धि पर कटौती (लघु दण्ड) तथा आचरण संहिता के उल्लघंन के गंभीर मामलों यथा- सरकारी राशि के गबन के प्रमाणित मामले, अनैतिक कार्य में लिप्त पाए जाने, अपराधिक मामले में सजायाफ्ता एवं गंभीर अनुशासनहीनता एवं कर्त्तव्य पर बरती गई लापरवाही सिद्ध होने पर **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के कार्य अनुमति/संविदा निरस्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार वृहद दण्ड देने हेतु सक्षम होगी।

iv. संबंधित प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उपरोक्त वर्णित लघु/वृहद दण्ड देने के पूर्व संबंधित **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** को स्पष्टीकरण के लिए लघु दण्ड की श्रेणी में एक अवसर एवं वृहद दण्ड की श्रेणी में दो अवसर प्रदान किया जाएगा।

v. दण्ड संबंधी आदेश संबंधित प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार (पंचायत/प्रखण्ड प्रशासनिक–सह–अनुशासनिक प्राधिकार) द्वारा लिखित रूप से संबंधित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक/शिक्षकों को संसूचित किया जाएगा जिसमें तथ्यों का पूर्ण ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा, जिसके आधार पर संबंधित सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक को प्रासंगिक दण्ड के योग्य पाया गया है।

12. **प्रमाण पत्रों की वैद्यता की जांच** :– उपरोक्त वर्णित स्नातक कोटि (वर्ग 6 से 8 हेतु) एवं इंटरमीडिएट कोटि (वर्ग 1 से 5) के **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच हेतु संबंधित प्रखण्ड शिक्षा समिति एवं प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव सक्षम प्राधिकार होंगे तथा इस प्रक्रिया को सुनिश्चित करने की जवाबदेही संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी। संबंधित पारा शिक्षक उपरोक्त वर्णित सभी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अभिप्रमाणित प्रति आवश्यक शुल्क सहित 15 दिनों के अंदर जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायेंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक सभी कागजात प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर संबंधित बोर्ड, संस्थान को जाँच हेतु प्रेषित करेंगे। प्रमाण पत्र जाली या गलत पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार के सचिव द्वारा संबंधित सक्षम प्राधिकार प्रखण्ड शिक्षा समिति में रखते हुए उसकी सहमति से संबंधित पारा शिक्षक की संविदा/कार्य अनुमति समाप्त करने हेतु यथोचित कार्रवाई की जायेगी। समय पर प्रमाण पत्र की जांच करा लेना संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी–सह–सदस्य सचिव, प्रखण्ड शिक्षा समिति एवं संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की सामूहिक जिम्मेवारी होगी।

13. आचरण संहिता

i. निर्धारित पाठ्यक्रम को सुगम एवं सुलभ ढंग से पूर्ण करना।

ii. समय पर विद्यालय आना और निर्धारित रुटीन के अनुसार कक्षा का संचालन करना।

iii. बाल अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करते हुए बच्चों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना।

iv. प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निजी व्यापार में संलग्न नहीं होना।

v. किसी प्रकार के नशा का सेवन नहीं करना।

vi. सामाजिक कुरीतियों विशेषकर बाल–विवाह एवं दहेज प्रथा को दूर करने में सक्रिय भूमिका निभाना।

vii. विद्यालय प्रबंध समिति, प्रखण्ड शिक्षा समिति, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा उपायुक्त एवं जिला स्तरीय शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिए जाने वाले निदेशों का अनुपालन करना।

viii. बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं झारखण्ड राज्य हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) के तहत शिक्षकों (**सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** सहित) के लिए निर्धारित निदेशों का अनुपालन करना।

ix. विद्यालय के पोषक क्षेत्र के 06–14 आयुवर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना एवं शैक्षणिक वातावरण का निर्माण करना।

x. किसी भी राजनीतिक दल का अथवा राजनीति में भाग लेने वाले संगठन का न तो सदस्य होना और न ही अन्यथा रूप से संबंधित राजनीतिक गतिविधियों में सहभागी होना।

xi. अनैतिक कार्यो में संलिप्त नहीं होना।

14. अवकाश – सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों को निम्न अवकाश देय होंगे :–

i. **आकस्मिक अवकाश** – एक कैलेण्डर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यह अवकाश (अन्य अवकाश सहित) एक साथ 10 दिनों से अधिक के लिए देय नहीं होगा।

ii. **विशेष अवकाश** – महिला **सहायक अध्यापक सम्प्रति** पारा **शिक्षकों** को प्रत्येक माह में एक साथ दो दिनों के लिए विशेषावकाश अनुमान्य होगा।

iii. **मातृत्व अवकाश** – महिला **सहायक अध्यापक सम्प्रति** पारा **शिक्षकों** को 180 दिनों का मातृत्व अवकाश देय होगा ।

iv. **पितृत्व अवकाश** – पुरूष **सहायक अध्यापक सम्प्रति** पारा **शिक्षकों** 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए देय होगा ।

v. **असाधारण अवकाश** – उपर्युक्त अवकाशों के अतिरिक्त, किसी कारणवश एक कैलेण्डर वर्ष में सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से अधिकत्तम 30 दिनों की अवधि के लिए वेतन रहित असाधारण अवकाश अनुमान्य होगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं मानी जायेगी। तत्पश्चात अनुपस्थिति की अवधि को सेवा में टूट माना जाएगा तथा मानदेय देय नहीं होगा।

vi. **चिकित्सा अवकाश**– एक कैलेण्डर वर्ष में चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति से अधिकत्तम 15 दिनों की अवधि के लिए सवैत्निक चिकित्सा अवकाश अनुमान्य होगा।

vii. **अवकाश की स्वीकृति** – **सहायक अध्यापक सम्प्रति** पारा **शिक्षकों** को अवकाश की स्वीकृति निम्न् के द्वारा दिया जाएगाः–

कोटि	आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश	अन्य प्रकार के अवकाश 60 दिनों तक	अन्य प्रकार के अवकाश 60 दिनों के ऊपर
वर्ग 1 से 5 के **सहायक अध्यापक सम्प्रति** पारा **शिक्षकों** के लिए	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक	संबंधित पंचायत के सचिव अधिकतम 60 दिनों तक	संबंधित प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा
वर्ग 6 से 8 के सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा **शिक्षकों** के लिए	संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधानाध्यापक	संबंधित क्षेत्र के क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी	जिला शिक्षा अधीक्षक

viii. पारा शिक्षक के अवकाश लेखा संधारण संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रभारी प्रधान शिक्षक द्वारा संधारित की जायेगी।

15. पंचायत/प्रखण्ड स्तरीय प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार पर कार्रवाईः–

i. प्रशासी विभाग द्वारा दिए गए दिशा–निदेशों का अनुपालन नहीं करना निर्धारित दायित्व का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए उत्तरदायी पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत/प्रखण्ड स्तरीय प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

ii. उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के स्तर पर प्राप्त शिकायत की जांच कराने पर यदि शिकायत सही पायी जाती है और संबंधित पारा शिक्षक पर अनुशासनिक एवं दण्डात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की जाती है, तो संबंधित पंचायत/प्रखण्ड स्तरीय प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार एवं विद्यालय प्रबंध समिति को उक्त अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से अधिकत्तम 60 दिनों के अन्तर्गत अपेक्षित अनुशासनिक कार्रवाई पूर्ण करना अपेक्षित होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित पंचायत/प्रखण्ड स्तरीय प्रशासनिक एवं अनुशासनिक प्राधिकार एवं सदस्य सचिव के विरूद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा की जाएगी।

iii. उपर्युक्त के अन्यथा की स्थिति में उक्त कार्रवाई राज्य स्तर से राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा अथवा विभागीय प्रधान सचिव/सचिव के आदेश के आलोक में उपायुक्त के माध्यम से सुनिश्चित की जाएगी।

16. **शिकायत एवं अपील**

सहायक अध्यापक सेवाशर्त में प्रावधान के अन्तर्गत सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षक की सेवाशर्त आदि से जुड़े मामलों पर अपील सुनकर विनिश्चय करने की शक्ति निम्नवत् होगी :-

प्रथम अपीलीय –

- पंचायत/प्रखण्ड प्रशासनिक-सह-अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के विरूद्ध संबंधित जिले के उपायुक्त

द्वितीय अपीलीय –

- राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

17. **प्रकीर्ण**

i. राज्य कार्यकारिणी, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् इस नियमावली के किसी भी प्रावधान को स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

ii. इस सेवाशर्त के अनुपालन हेतु राज्य परियोजना निदेशक आवश्यक आदेश निर्गत कर सकेंगे जिसका अनुपालन करना आवश्यक होगा।

18. **निरसन एवं व्यावृत्ति**

i. इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से **सहायक अध्यापक सम्प्रति पारा शिक्षकों** के चयन एवं सेवा शर्तो से संबंधित पूर्व निर्गत सभी आदेश/निदेश आदि इस नियमावली से निरसित माने जाऐंगे। परन्तु इस निरसन के होते हुए भी इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि के पूर्व तत्कालीन प्रवृत नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी, मानों वे सभी इस नियमावली के अधीन किये गए हों।

ii. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना संख्या 8/न01- 04/ 2011/1632 दिनाँक 05/09/2012 में प्राथमिक शिक्षक **नियुक्ति में प्रावधानित पारा शिक्षकों हेतु** 50 प्रतिशत आरक्षण **पूर्ववत् रहेंगे।**

iii. पूर्व में निर्गत मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या 01–28/07/2041 दिनांक 21/08/2008 निरस्त समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

14.2.22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 16/य.1–04/2022...238.../ राँची, दिनांक...14.02.22.../

प्रतिलिपिः अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

14.2.22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 16/य.1–04/2022...238.../ राँची, दिनांक...14.02.22.../

प्रतिलिपिः राज्यपाल के प्रधान सचिव / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / मुख्य सचिव, झारखण्ड / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी उप–विकास आयुक्त / सभी क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक / सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला शिक्षा अधीक्षक / सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.2.22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 16/य.1–04/2022...238.../ राँची, दिनांक...14.02.22.../

प्रतिलिपि : महाधिवक्ता, झारखण्ड / सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14.2.22

(राजेश कुमार शर्मा)
सरकार के सचिव